



पतंजलि विश्वविद्यालय University of Patanjali



उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) :

दिनांक (Date) :17.06.2026.....

प्रेस-विज्ञप्ति

पतंजलि विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्त भारत अभियान' का शुभारंभ

हरिद्वार 17 जून। पतंजलि विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान' के तहत आज भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित हुआ, जिसमें नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय और मंत्रालय के बीच हुए MoU के उद्देश्यों को दोहराया गया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली और हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर अपना संकल्प व्यक्त किया।

इस अवसर पर प्रेरणास्रोत के रूप में स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी तथा साध्वी देवप्रिया जी, प्रति-कुलपति प्रो. मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन का उल्लेख किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ शिक्षाविद् डॉ. के.एन.एस. यादव, कुलसचिव डॉ. दीपेश सक्सेना, उप-कुलसचिव डॉ. निर्विकार, परीक्षा नियंत्रक डॉ. ए.के. सिंह, विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, निदेशक, प्राध्यापक, शोधार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

अभियान के अंतर्गत आगामी दस दिनों तक साइकिल रैली, बाइक रैली, योग शिविर, जन-जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और संवाद सत्र जैसे आयोजन किए जाएंगे।

यह पहल युवाओं में नशा-विरोधी जागरूकता बढ़ाने और "नशा मुक्त भारत – विकसित भारत" के संकल्प को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।